



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U. P. Power Corporation Limited

(U.P. Govt. Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या: 147-अ०प्र०(2ब)/पा०का०लि०/2022-प्रोन्नति(02ब)/2022-23

दिनांक : 02 नवम्बर, 2022

कार्यालय ज्ञाप

विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर श्री राकेश कुमार (अभि०सं०-2014298, वरि० क्र०-8784, सैप आई०डी०-11007635) (गृह जनपद-कुशीनगर) (सेवानिवृत्ति तिथि-30.06.2040), सहायक अभियन्ता (वै०एवंया०), विद्युत पारेषण खण्ड-देवरिया अन्तर्गत उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० को अधिशासी अभियन्ता (वै०एवंया०) के पद पर प्रोन्नत कर दक्षिणांचल वि०वि०नि०लि०, आगरा को आवंटित किया जाता है।

2- परिषदादेश संख्या 1849-का.वि.नि./रा.वि.प.-29/97-14काविनी/87, दिनांक 8 अक्टूबर 1997 में निहित प्राविधानानुसार श्री राकेश कुमार को उनके आसन्न कनिष्ठ अधिकारी श्री मो० सैफ इस्लाम (अभि०सं०-2015201, सैप आई०डी०-11002248) की सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता (विद्युत एवम् यान्त्रिकी) के पद पर प्रोन्नति आदेश के निर्गमन की तिथि 18.07.2022 से अधिशासी अभियन्ता (विद्युत एवं यान्त्रिकी) के पद पर नोशनल प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

3- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि प्रोन्नत अधिकारी ने कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)-2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकन का प्रस्तुतीकरण कर दिया है।

4- उपरोक्त प्रोन्नत अधिकारी को कारपोरेशन के ज्ञाप सं०-2900-प्रशि०-10/पाकालि दिनांक 23.12.03 के प्राविधानानुसार उनके द्वारा अधिशासी अभियन्ता पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास उ०प्र० पाकालि, लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कराया जायेगा जिसमें इनका भाग लेना अनिवार्य होगा।

5- उपरोक्त प्रोन्नत अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।

6- यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में, कार्यालय ज्ञाप में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, प्रत्येक व्यावहारिक उद्देश्य के लिए मान्य होगा।

7- उपरोक्त प्रोन्नति आदेश मा० उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में योजित याचिका सं०-4274/2022, आशुतोष कुमार तिवारी एवं अन्य बनाम उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में अन्तिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन है।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 147(1)अ०प्र०(2ब)/पा०का०लि०/2022 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/समस्त निदेशक के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, लखनऊ।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्वल, वाराणसी/मध्यान्वल, लखनऊ/दक्षिणान्वल, आगरा/पश्चिमान्वल, मेरठ विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/केस्को, कानपुर।
- 3- अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०।
- 5- समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०।
- 6- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
- 7- उप सचिव, ज०श० प्रशि० एवं प्रशा०सु०/गोपन/अ०प्र०-(03/04)/अ०प्र०-07 उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
- 8- सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,

(सदानन्द)

उप सचिव (02ब)